शोध एवं नवाचार निदेशालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पीएच. डी. कार्यक्रम में प्रवेश 2025-2026 हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार दिनांक 12.05.2026 से 15.05.2026 तक प्रातः 10:00 बजे से निर्धारित किया गया है एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uou.ac.in पर अपलोड की जा रही है अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की उपरोक्त निर्धारित तिथि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर, तीन पानी बाई पास रोड, हल्द्वानी मुख्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. सभी विषयों (गणित, रसायन विज्ञान, समाज कार्य, वनस्पति विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, पर्यटन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, पत्रकारिता, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान) की प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार दिनांक 12.05.2026 से 15.05.2026 तक सम्बंधित विद्याशाखाओं/ विभागों में निर्धारित की जाएगी।
2. प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार विश्वविद्यालय हल्द्वानी मुख्यालय के विभिन्न विषयों सम्बद्ध विद्याशाखाओं/ विभागों सम्पन्न होंगी।
3. प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क रुपया 1000/- मात्र वित्त अनुभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में जमा करना होगा।
4. प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ लाना आवश्यक है एवं उनकी छाया प्रति स्वप्रमाणित करके सम्बंधित विषय के विद्याशाखा संयोजकों के पास जमा करनी होगी। प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु संलग्न दिशा-निर्देश अवश्य देखे।
5. कोर्स वर्क की कक्षाएँ हल्द्वानी मुख्यालय में संचालित होंगी।
6. विभिन्न विषयों में उपलब्ध सीटों / स्थानों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति विश्वविद्यालय की वेबसाइट में दी गई है। आवेदक अपने विषय में उपलब्ध सीटों की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए प्रमाण पत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार में प्रतिभाग करें।
7. यहि कोई अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण (उत्तराखण्ड महिला भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे) के अन्तर्गत उपयुक्त पात्रता न रखता हो तो सम्बंधित श्रेणी में ही नियमों के अनुसार सीटें भरी जायेंगी।
8. यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूर्ण नहीं करता है या आवश्यक प्रपत्रों के साथ उपस्थित नहीं होता है तो इसका नाम स्वतः ही मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा।
9. साक्षात्कार एवं प्रपत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही विचार किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है, तो उसका नाम स्वतः ही हटा दिया जाएगा।
10. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन केवल उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष ही हो। यदि आवेदन रिक्त सीटों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

संलग्नः विषयवार रिक्त सीटों की प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश